बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :– 2226906, फोन :– 0151–2226902, 0151–2226905

E-mail–: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2020 18631 – 35 28, **दिसम्बर, 2020**

ई–टेण्डरिंग निविदा 2020–22 निविदा सूचना संख्या–12

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाने एवं नाला सफाई कार्य हेतु बीकानेर नगर निगम की 05 निजी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें कार्यादेश जारी होने की दिनांक से दो वर्ष के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्ते निगम की वेबवाईट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध हैं।

कार्य की अनुमानित लागत – 1,40,00,000 / –

निविदा प्रपत्र शुल्क – 1000 /- रूपये (ऑनलाईन)

ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया शुल्क – 1000 / – रूपये (ऑनलाईन)

अमानत राशि – 1 प्रतिशत (ऑनलाईन)

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक –	18.01.2021	शाम 6:00 बजे तक
निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक –	21.01.2021	शाम 6:00 बजे तक
तकनिकी बिड खोलने की दिनांक –	22.01.2021	को 11.00 बजे।

तकनिकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वितीय बिड खोली जावेगी।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / स्वा. / 2020 18631 – 35 28, **दिसम्बर, 2020**

प्रतिलिपि :–

1. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड, बीकानेर।
2. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम।
3. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाईट पर प्रकाशन करावें।
4. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।
5. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

तकनीकी बीड (प्रथम भाग)

1	ई–निविदा सूचना संख्या	12 / 2020–22	
2	कार्य का नाम	**बीकानेर नगर निगम की 05 निजी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें अनुबंध पर देने का कार्य**	
3	नाम फर्म		
4	डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	18.01.2021	6:00 PM तक
5	अपलोड करने की अंतिम तिथि	21.01.2021	6:00 PM तक
6	तकनीकी बीड खोलने की दिनांक	22.01.2021	11:00 AM

(http://eproc.rajasthan.gov.in)

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

–: सहमति–पत्र :–

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	√ करें
1	फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने एवं ब्लेक लिस्ट नहीं होने का शपथ–पत्र 100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।	संलग्न है/नहीं है
2	अपने स्वयं के खर्चे पर प्रत्येक मशीन पर निगम की प्रत्येक मशीन पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाने एवं जीपीएस सिस्टम को ट्रेकिंग/जानकारी हेतु निगम परिसर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर लगाया जाने संबंधि शपथ पत्र 100/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।	संलग्न है/नहीं है
3	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि अथवा शपथ पत्र।	संलग्न है/नहीं है
4	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
5	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
6	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
7	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
8	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।	संलग्न है/नहीं है
9	पिछले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थाओं में किये गये कार्य का एक्सकेवेटर कम लोडर मशीन संबंधित कार्य के अनुमानित लागत के 30 प्रतिशत के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र	संलग्न है/नहीं है
10	फर्म का गत तीन वर्षों में औसत टर्न ऑवर 70 लाख रूपये का सीए द्वारा प्रमाण पत्र।	संलग्न है/नहीं है

क्रम संख्या 1 से 10 की पूर्ति होने पर ही निविदा का द्वितीय भाग (वित्तीय बीड) खोली जायेगी। संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां स्केन करके अपलोड कर दी गई है। संलग्न शर्तो पर निर्धारित संख्या में एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें की आपूर्ति कार्य करने को सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

वित्तिय बिड (द्वितीय भाग)

1. ई–निविदा सूचना संख्या – 12/2020–22
2. कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम की 05 निजी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें अनुबंध पर देने का कार्य
3. फर्म का नाम :–

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

दर प्रस्ताव

बीकानेर नगर निगम की 05 निजी एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें अनुबंध पर देने का कार्य	प्रति घंटा प्रति एक्सकेवेटर कम लोडर मशीन चालक व ईंधन सहित निविदा शर्तो के अनुसार समस्त करो सहित रू.................................. शब्दो में ....

उक्त दी गई दर पर कार्य तकनीकी बिड में संलग्न शर्तो अनुसार कार्य करने तथा समस्त करों एवं ईपीएफ/ईएसआई भरने आदि के लिए सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

बीकानेर नगर निगम

कचरा परिवहन कार्य हेतु निगम की एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें चालक व ईंधन सहित संधारण संचालन हेतु अनुबंध पर संचालन करने की निविदा सूचना संख्या 12 (2020–22) की शर्ते

शर्त संख्या 01 नगर निगम द्वारा कचरा परिवहन कार्य हेतु निगम की एक्सकेवेटर कम लोडर चालक व ईंधन सहित संधारण संचालन करने की दिनांक कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष के लिए आवश्यकता है।

शर्त संख्या 02 निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रो को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में प्रस्तुत करना होगा । निविदा को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तो को विभाग की वेबसाईट www.bikanermc.org. एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। बोली प्रतिभूति (अमानत) राशि एक प्रतिशत, ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क 1000/– एवं निविदा शुल्क 1000/– ऑनलाईन ही निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

प्रथम भाग :– तकनीकी बीड के साथ संलग्न किये जाने वाले पत्र नीचे क्र.स 1 से 10 तक

1. फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नही होने तथा ब्लेक लिस्ट नहीं होने का शपथ–पत्र/अण्डर टेकिंग 100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
2. अपने स्वयं के खर्चे पर निगम की प्रत्येक मशीन पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाने एवं जीपीएस सिस्टम को ट्रेकिंग/जानकारी हेतु निगम परिसर में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर लगाया जाने संबंधि शपथ पत्र 100/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि/घोषणा पत्र।
4. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
6. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।
9. पिछले पांच वर्षों में से किसी एक वर्ष में सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थाओं में किये गये कार्य का एक्सकेवेटर कम लोडर संबंधित कार्य के अनुमानित लागत के 30 प्रतिशत के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र
10. फर्म का गत तीन वर्षों में औसत टर्न ऑवर 70 लाख रूपये का सीए द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या 03 अमानत राशि 1 प्रतिशत ही मान्य होगी तथा सफल निविदादाता को कुल कार्य राशि की 2.5 प्रतिशत राशि सुरक्षित धरोहर के रूप में जमा करवानी होगी। सुरक्षित धरोहर राशि कार्य समाप्ति पश्चात् लौटाई जावेगी, सुरक्षित धरोहर राशि पर ब्याज देय नही होगा तथा 7 दिवस में नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा जिसका व्यय संवेदक को वहन करना होगा।

शर्त संख्या 04 निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाऐ नही खोली जा सकती है तो उनके अगले कार्यदिवस को शेष निविदाऐ खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

शर्त संख्या 05 किसी तरह का Joint Venter स्वीकार्य नहीं होगा।

शर्त संख्या 06 सफल निविदादाता श्रम अधिनियमो/उप नियमो की पालना करनी होगी, तथा न्यून्तम मजदूरी अधिनियम की पालना करनी होगी। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के कर जीएसटी आदि चुकाने की जुम्मेवारी सफल निविदादाता की होगी।

शर्त संख्या 07 निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा। जिसके लिये निगम कारण बताने के लिये बाध्य नही होगा। कांट छाट की गई निविदाओ पर बिना लघु हस्ताक्षर के विचार नहीं किया जावेगा।

शर्त संख्या 08 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् निगम की निजी 05 एक्सकेवेटर कम लोडर के लिए चालक व ईंधन सहित संधारण संचालन हेतु कार्य शुरू करवाना अनिवार्य होगा, मशीनो के चालक मृदुभाषी एवं अनुशासित होने चाहिऐ।

शर्त संख्या 09 सफल निविदादाता को कार्य शुरू करने से पूर्व वाहन चालक के लाईसेन्स सत्यापन करवाना होगा। वाहन चालको के लाईसेंस एवं मशीनों पर जी.पी.एस. सीस्टम लगाने अनिवार्य होंग तथा जीपीएस सिस्टम निगम परिसर में ही लगाना अनिवार्य होगा।

ख्या 10	निविदा संबंधित समस्त शुल्क जैसे ई–टेण्डरिंग निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि आदि नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर ऑनलाईन जमा करवाने के साथ–साथ नगर निगम के ख़ाता संख्या 50100238612073, IFSC कोड HDFC0000645 HDFC Bank Ltd. पर RTGS के माध्यम से जमा करवायी जा सकती है एवं जमा विवरण वेबसाईट आरजीटीएस की प्राप्ति रशीद को www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
शर्त संख्या 11	मशीनो एवं चालको पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे पी.ओ.एल. टूट–फूट मरम्मत चालकों के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चो की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
शर्त संख्या 13	स्मस्त मशीनें मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा।
शर्त संख्या 14	कार्य आदेश प्राप्ति होने के 15 दिवस में निविदा दाता को कार्य शुरू करना होगा।
शर्त संख्या 15	कार्य करते समय एक्सकेवेटर लोडर मशीनें के चालक एवं श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो निगम उक्त दुर्घटना के लिए किसी भी कानूनी कार्यवाही व किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए ज़िम्मेवार नहीं होगी । समस्त उत्तरदायित्व का भरण निविदादाता का ही होगा ।
शर्त संख्या 16	कार्य दिवस सोमवार से शनिवार तक होगा एवं रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होने पर आयुक्त, उपायुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी की लिखित स्वीकृति से रविवार या अन्य अवकाश को भी कार्य करवाया जा सकेगा जिसकी स्वीकृत दरों पर नियमानुसार भुगतान देय होगा ।
शर्त संख्या 17	निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 2 वर्ष तक के लिये मान्य होगी । निविदा अवधि समाप्त होने पर विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होनें तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकती है। आवश्यकता पडने पर मशीनो की संख्या घटाई व बढाई जा सकती है। जिसके लिए संवेदक बाध्य होगा। इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा।
शर्त संख्या 18	निविदा दाता द्वारा प्रदत्त एक्सकेवेटर लोडर मशीनें खराब होने पर खराब मशीन को 24 घंटो के अन्दर–अन्दर ठीक करवाकर निगम के समक्ष प्रस्तुत करनी है, खराब एक्सकेवेटर लोडर मशीनें का कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा निविदा दाता द्वारा वांछित मात्रा में एक्सकेवेटर लोडर मशीनें उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रति एक्सकेवेटर लोडर मशीन प्रतिदिन रू. 5000/– की शास्ती लगायी जावेगी।
शर्त संख्या 19	सफल निविदादाता को उपलब्ध करवाई गई मशीनो से 8 घंटे कार्य लिया जावेगा कार्य का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जावेगा। निगम द्वारा निर्धारित कार्य समयानुसार प्रथम एवं द्वितीय शिफ्ट में भी मशीने उपलब्ध करवानी होगी तथा आवश्यकतानुसार राजपत्रित अवकाशं के दिनो में भी स्वास्थ्य अधिकारी, आयुक्त की स्वीकृति से कार्य किया जा सकेगा जिसका निविदा मे स्वीकृत दर से भुगतान देय होगा।
शर्त संख्या 20	निगम द्वारा प्रतिदिन मशीनो से 8 घंटे कार्य लिया जावेगा, परन्तु आपातकालीन स्थिति में एवं वी.आई.पी विजिट होने पर 8 घंटे से अधिक समय तक कार्य लिया जावेगा, किसी भी समय गाय,सांड या अन्य पशु नाले या खड्डे में गिरने पर उसे निकालने हेतु 24 घंटे में किसी भी समय निगम अधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा सूचित करने पर संवेदक को एक्सकेवेटर कम लोडर मशीने (चालक व ईंधन सहित) उपलब्ध करवाकर स्वंय के मानव संसाधन/उपकरण रस्सी आदि द्वारा नाले में से पशु को निकालना होगा। इस कार्य के लिए अतिरिक्त कार्य लिये गये कार्य का स्वीकृत निविदा दर से भुगतान देय होगा।
शर्त संख्या 21	पांच एक्सकेवेटर कम लोडर (चालक व ईंधन सहित) मशीनें के लिए अलग–अलग लॉग बुक निगम कार्यालय में आवश्यक शुल्क जमा करवाकर सफल निविदादाता को प्राप्त करनी होगी, लॉग बुक में स्वच्छता निरीक्षक के अधीन कार्य किया गया है उस क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक एवं प्रभारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक से प्रमाणीकरण करवाना होगा।
शर्त संख्या 22	सफल निविदादाता को आपूर्ति दी जाने वाली मशीनो का निर्धारित सेंटर बीकानेर नगर निगम भण्डार होगा। प्रतिदिन मशीने नगर निगम भण्डार से रवाना होगी, भण्डार में निर्धारित रजिस्टर पर मशीनो के आने व जाने का समय अंकित कर चालक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
शर्त संख्या 23	प्रतिमाह आपूर्ति दी गई मशीनो का बिल अगले माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा भुगतान में विलम्ब होने के लिए निगम जिम्मेवार नही होगी।
शर्त संख्या 24	सफल निविदादाता को उपलब्ध एक्सकवेटर कम लोडर मशीने से कचरा, मलबा, मिटटी भरवाने एवं नालो की सफाई एवं अतिक्रमण हटाने का कार्य लिया जा सकेगा, यदि नाला सफाई कार्य हेतु निगम अधिकारी/निरीक्षक द्वारा निर्देश देन पर छोटे नाले की सफाई के लिए मशीनो मे छोटा बकट मशीन में लगवाकर संवदेक को उपलब्ध करवाना होगा, छोटा बकट मशीन मे लगवाकर नही उपलब्ध करवाने पर संवेदक से अन्य कार्य नहीं लिया जावेगा न ही अन्य कार्य प्रमाणित किया जावेगा।
शर्त सख्या 25	सफल निविदादाता को उपलब्ध करवाई गई एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें से नगरीय क्षेत्र के सभी वार्डो में कही भी कार्य लिया जा सकता है तथा जिला प्रशासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर नगरीय क्षेत्र से बाहर भी मशीन को भेजा जा सकता है। जिसके लिए एक्सकेवेटर कम लोडर मशीनें (चालक वं ईंधन सहित) संवेदक को उपलब्ध करवानी होगी।

26	सफल निविदादाता निर्धारित समय में यदि मशीनो का संचालन करने में असफल रहता है या कार्य करने से मना करता है, ऐसी परिस्थिति में सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि एवं धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा निगम उक्त कार्य को अन्य से करवाने को स्वतंत्र होगी, अन्य से करवाये गये कार्य पर दरो के अधिक भुगतान की वसूली रिस्क एण्ड कॉस्ट से सफल निविदादाता से की जावेगी।
शर्त संख्या 27	सफल निविदादाता को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य हेतु मशीन उपलब्ध करवानी होगी। 3 घंटे से 8 घंटे की बीच किये गये कार्य का स्वीकृत दर के अनुसार आनूपातिक भुगतान देय होगा। 3 घंटे से कम कार्य करने पर किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा तथा रूपये 3000/— की पेनेल्टी लगाई जावेगी।
शर्त संख्या 28	निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तो/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा अमानता एवं सुरक्षित धरोहर राशि जब्त की जा सकेगी।
शर्त संख्या 29	ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उसकी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिंए निगम किसी भी तरह से उतरदायी नहीं होगा। ईपीएफ एवं ईएसआई जमा राशि के चालान श्रमिकों के नाम सहित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
शर्त संख्या 30	निविदा में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।
शर्त संख्या 31	मशीनो मे प्रयुक्त होने वाले समस्त स्पेयर पार्टस ल्यूब्रिकेन्ट्स डिजल आदि की पूर्ति करने की जिम्मेवारी संवेदको की होगी। मशीनों में होने वाली सभी प्रकार की रिपेयर की सूचना निगम के यंत्रालय अनुभाग में प्रतिमाह देनी होगी। मशीनों में होने वाली सभी प्रकार की खराबी को कम्पनी द्वारा निर्धारित सर्वीस सेन्टर से ही सही करवाना होगा। किसी अन्य जगह से सही करवाने पर 5000/— रूपये की शास्ति आरोपित की जावेगी।
शर्त संख्या 32	निगम द्वारा मशीनों चालू हालत (Woring-condition) में संवेदको को सुपुर्द की जावेगी तत्पश्चात् मशीनो पर होने वाली समस्त टुट—फूट खराबी आदी को ठीक (Repaird) करवाने की जिम्मेवारी संवेदको की होगी। निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् सामान्य चालू हालत (Woring-condition) मे मशीनो को संवेदको द्वारा निगम को सुपुर्द करना होगा। एवं मैकेनिकल रिपोर्ट सहित सुपुर्दगी होगी। गैराज प्रभारी से प्रत्येक माह तकनीकि रिपोर्ट संतोषजनक पेश करें के बिलो का भुगतान किया जावेगा। मशीनों की सुपुर्दगी बीमा कराके की जावेगी तथा इसका नवीनीकरण समय—समय संवेदक द्वारा कराया जावेगा।
शर्त संख्या 33	निगम द्वारा मशीनो का संचालन एवं उपयोग आवश्यक्तानुसार करवाया जायेगा तथा निगम द्वारा आदेश प्रसारित करने एवं अवकाश के दिनो में भी आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त किसी भी समय (24 घण्टे) मे मशीनमय चालक संवेदक द्वारा उपलब्ध करवानी होगी। जिसका स्वीकृत दर पर भुगतान देय होगा।
शर्त संख्या 35	संवेदकों द्वारा मशीनो का संचालन दोष पूर्ण होने से दुर्घटना या मशीन में टुट—फुट होती है तो दुर्घटनाग्रस्त पार्टी को मुआवजा अन्य कानूनी कार्यवाही की जिम्मेवारी संवेदक की होगी। तथा मशीनो की टुट—फुट आदि की मरम्मत भी संवेदक द्वारा करवायी जावेगी। निगम की किसी भी कानूनी कार्यवाही की जिम्मेवारी नहीं होगी।
शर्त संख्या 36	मशीन के मेजर रिपेयर कार्य हेतु संवेदक द्वारा लिखित सूचना दी जावेगी तथा 24 घण्टे में मशीन रिपेयर करवाकर उपलब्ध नहीं करवाने पर निगम द्वारा संवेदक पर प्रतिदिन प्रतिमशीन रू 5000 जूर्माना लगाया जावेगा।
शर्त संख्या 37	संवेदक द्वारा मशीनो के संचालन एवं संधारण कार्य में लगाये गये श्रमिक चालक/मैकेनिक प्रशिक्षित होने चाहिए। संवेदक को श्रम अधिनियसम एक अन्सय प्रचलित नियम एवं विधियों की पालना भी करना अनिवार्य होगा तथा मशीनो के संचालन पर नियुक्त किये गये श्रमिक एवं चालको को सुरक्षात्मक उपकरण देना एवं बीमा आदि करवाने की भी जिम्मेवारी भी संवेदक की होगी।
शर्त संख्या 38	संवेदक को कार्य शुरू करने से पूर्व नियमानुसार नोनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करने के पश्चात् निगम के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अलग—अलग मशीनो हेतु अलग—अलग लॉग बुक प्राप्त करनी होगी। प्राप्त लॉग बुक में प्रतिदिन किये गये कार्य का विवरण स्थल सहित भरना होगा, कार्य स्थल पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित निरीक्षक/ स्वच्छता प्रभारी से लॉग –बुक सत्यापन/ प्रमाणित करवानी होगी लॉग बुक प्रमाणीकरण के पश्चात् स्वास्थ्य अधिकारी/उपायुक्त/आयुक्त की अभिशंषा होने पर अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जवेगी।
शर्त संख्या 39	मशीनों को खड़ा करने हेतू स्थान निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा संविदा अवधि में मशीनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी संवेदक की होगा। मशीने संवेदक को प्रतिदिन निगम भण्डार से रवाना करनी होगी तथा गेट रजिस्टर में चालक द्वारा जाने वक्त आने का समय अकिंत करना होगा एवं मशीन संचालनकर्ता के हस्ताक्षर भी होगे। भेजे गये कार्य पूर्ण या अपूर्ण संबंधी टिप्पणी भी चालक द्वारा की जावेगी। चालक को गेट रजिस्ट्रर मे कार्यस्थल तक पहुंचना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर नहीं पहुचने पर समय की कटौती की जा सकेगी।
शर्त संख्या 40	संवेदक द्वारा लगाये चालक एवं श्रमिका अनुशासित मृदुभाषी होने चाहिए इनके दुर्व्यवहार एवं गलत आचरण पर अगर गैरेज प्रभारी द्वारा रिर्पोट की जाती है तो संवेदक को चालक/ श्रमिक उसी दिन बदलना होगा अन्यथा रू. 5000/— की पैनेल्टि लगायी जायेगी।
शर्त संख्या 41	संवेदक द्वारा मशीनो के संचालन कार्य में लगाये गये श्रमिकों/चालको के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम द्वार किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा एवं संवेदक द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य प्रातः एवं सांय काल दोनो समय की पारियो में प्रमाणीकरण रिपोर्ट (जो कार्य सम्पादित किया गया है) निर्धारित प्रारूप में होगी।

[illegible] संख्या 42	संवेदक द्वारा मशीनो के संबंध मे मशीन रिपोर्ट प्रतिमाह प्रस्तुत करनी होगी जिसमें मशीनों के संबंध मे पूर्ण मरम्मत का विवरण, सर्वीस सेन्टर द्वारा किये गये कार्य का प्रमाणिकरण दर्शाना होगा। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर रू. 5,000/– की शास्ति लगायी जावेगी।
शर्त संख्या 43	विशेष परिस्थितियों में अपातकालीन कार्य के लिये मशीनो का संचालन निगम प्रशिक्षित चालकों द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से कराया जा सकेंगा। जिसके लिए संवेदक को मशीन सुपुर्द करनी होगी एवं इसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
शर्त संख्या 44	संवेदक को श्रम कानून के सभी नियसम एवं उपनियम तथा कर्मचारी हित के सभी नियमों का पालन करना होगा।
शर्त संख्या 46	संवेदक को निगम द्वारा अधिकृत स्थान पर निर्देशानुसार मशीनो का संचालन कार्य किया जावेगा। यदि मशीने अधिकृत के निर्देशित स्थल से अन्यत्र कार्य करती हुयी पायी जाने पर या मशीन का दुरूपयोग होने पर रू. 5,000/– की पैनेल्टी प्रति मशीन प्रतिदिन वसूल की जावेगी।
शर्त संख्या 48	सफल निविदादाता को सुरक्षा राशि के रूप में 30 लाख की बैंक गारंटी कार्यादेश जारी होने से पूर्व देनी अनिवार्य होगी। जो कि कार्य समाप्ति की दिनांक से 6 माह की अविधि यानि 30 माह की अवधि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
शर्त संख्या 49	किसी भी विवाद की स्थिती में अन्तिम निर्णय आयुक्त/महापौर नगर निगम बीकानेर का होगा तथा न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी　　सहायक अभियंता यंत्रालय　　मुख्य लेखाधिकारी　　उपविधि परामर्शी　　उपायुक्त